राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : ई–12/एम/425/वरिष्ठता/09/ 449 दिनांक : 13-5-09

निदेशक, पुर्नवास एवं अनुसंधान केन्द्र, जयपुर
निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई जयपुर/जोधपुर
प्रधानाचार्य, स्वा0 प0क0 प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर/अजमेर
प्रधानाचार्य, डेन्टल कॉलेज, जयपुर
प्रधानाचार्य, नर्सिंग कॉलेज, जयपुर
मुख्य सार्वजनिक विश्लेशक, जयपुर
उप निदेशक औशधि प्रयोगशाला, जयपुर
समस्त संयुक्त निदेशक–जोन
समस्त अधीक्षक संलग्न चिकित्सा समूह

विशय–चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की पदौन्नति कनिष्ठ लिपिक/वाहन चालक के पद पर करने बाबत ।

उपरोक्त विशयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा नियमों में उपलब्ध प्रावधानों को दृश्टिगत रखते हुये विभाग़ में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति क0लि0/वाहन चालक के पद पर राज्य स्तरीय वरिश्ठता सूची निदेशालय स्तर से जारी करने का निर्णय लिया गया था, जिसकी पालना में विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कर्मचारियों जो कि क0लि0/वाहन चालक की पदोन्नति हेतु सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण है तथा वाहन चालक के पद हेतु आठवीं कक्षा उत्तीर्ण है एवं वाहन चालक का हैवी/लाइट लाइसेंस जो कि कम से कम 3 वर्ष पुराना हों, कि अन्तरिम(प्रोविजनल) वरिश्ठता सूची उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिनांक 31.12.07 की स्थिति में निदेशालय के पत्रांक 43 दिनांक 16.1.08 के द्वारा जारी कर दी गई थी तथा अन्तिम वरिष्ठता सूची प्रकियाधीन थी ।

पुनः राज्य सरकार द्वारा च0श्रे0 संवर्ग के कर्मचारियो की पदौन्नति क0लि0/वाहन चालक के पद पर किये जाने हेतु वरिष्ठता सूची का निर्धारण निदेशालय में कार्यरत कर्मचारियों का निदेशालय स्तर पर, जिलों में कार्यरत कर्मचारियों का संभाग कार्यालय स्तर पर तथा चिकित्सालयों में कार्यरत कर्मचारियों का संलग्न चिकित्सालय स्तर पर संधारण किये जाने के निर्देश आई. डी. संख्या एम 31/पीएचएस/2009 दिनांक 29.4.09 के द्वारा प्रदान किये है ।

अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि आप अपने अधिन कार्यरत च0श्रे0संवर्ग के कर्मचारी जो कि क0लि0/वाहन चालक के पद की शैक्षणिक/तकनिकी योग्यता रखते है, कि वरिष्ठता सूची पूर्व की भाति आपके स्तर से जारी कर नियमानुसार पदौन्नति की कार्यवाही करें ।

अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

क्रमांक : ई–12/एम/425/वरिष्ठता/09/ 449 दिनांक : 13-5-09
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकि0 स्वा0 एवं आयुर्वेद विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि0 एवं स्वा0 विभाग, राज0, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, चिकि0 एवं स्वा0(ग्रुप–3)विभाग, राज0, जयपुर।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी/ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान, को भेजकर निर्देश है कि आपके अधिन कार्यरत च0श्रे0संवर्ग के कर्मचरियों की सूचना संबंधित संभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, कमरा नं0 302, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपडेट करने का श्रम करें ।

अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर